

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक भूखंड, जो पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के परिवार के स्वामित्व में था, **शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968** (Enemy Property Act, 1968) के तहत नीलाम होने वाला है। यह घटनाक्रम भारत में शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और समाधान के बारे में चल रही चर्चाओं पर प्रकाश डालता है।

शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है?

- **अधिनियमन:** शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद "शत्रु वदिशी" या "शत्रु वषिय" के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को वनियमिति करने के लिये अधिनियमिति किया गया था।
- **शत्रु संपत्ति की परिभाषा:** इसका तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों से है, जो **वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों** और **1962 के चीन-भारत युद्ध** जैसे संघर्षों के बाद दुश्मन देशों (पाकिस्तान और चीन) में चले गए थे।
 - इन संपत्तियों को शुरू में **भारत रक्षा नियम, 1962** के तहत अधिग्रहण किया गया था, जो कि भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत अधिनियमिति किये गए थे और गृह मंत्रालय के तहत एक विभाग **भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक (CEPI)** के पास नहिति थे।
 - भारत और पाकिस्तान के बीच **वर्ष 1966 के ताशकंद घोषणापत्र** में ऐसी संपत्तियों की वापसी के बारे में चर्चा शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान ने वर्ष 1971 में इन संपत्तियों का नपिटान कर दिया।
 - भारत ने **शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968** के तहत इन संपत्तियों पर अपना कब्जा जारी रखा।
 - यह अधिनियम सरकार को ऐसी संपत्तियों की अभिरक्षा और प्रबंधन का अधिकार देता है, ताकि राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध उनका उपयोग रोका जा सके।
- **संशोधन:** शत्रु संपत्ति (संशोधन और वधिमान्यकरण) **वधियक, 2016** को **संसद द्वारा 2017** में पारित किया गया, जिसमें 1968 अधिनियम और **1971 सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम** को संशोधित किया गया।
 - इसने "शत्रु वषिय" और "शत्रु फर्म" की परिभाषाओं को व्यापक बनाते हुए, इसमें शत्रु के **कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी को शामिल** किया है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या किसी गैर-शत्रु देश का नागरिक हो, साथ ही शत्रु फर्म की उत्तराधिकारी फर्म को भी शामिल किया है, भले ही उसके सदस्यों या भागीदारों की राष्ट्रियता कुछ भी हो।
 - वर्ष 2017 के संशोधन में स्पष्ट किया गया कि शत्रु संपत्ति सरकार के नियंत्रण में रहेगी, भले ही मूल शत्रु की स्थिति बदल जाए।
- **प्रमुख कानूनी मसालें:**
 - **भारत संघ बनाम राजा मोहम्मद आमरि मोहम्मद खान मामला, 2005:** महमूदाबाद के राजा के पास उत्तर प्रदेश में संपत्ति थी। विभाजन के बाद वे वर्ष 1957 में पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त कर ली, जिसके कारण उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया।
 - उनकी पत्नी और पुत्र भारतीय नागरिक के रूप में भारत में ही रहे और राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने उनकी सम्पत्तियों पर अपना दावा पेश किया तथा उन्हें शत्रु सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने को चुनौती दी।
 - **भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC)** ने माना कि चूंकि पुत्र भारतीय नागरिक है, इसलिये वह अपने पति की संपत्ति वापस पाने का हकदार है। संपत्ति को शत्रु संपत्ति नहीं माना जा सकता क्योंकि असली वारिस भारत का नागरिक है।
 - **प्रभाव:** सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों के रश्तिदारों ने कई दावे किये। जवाब में, सरकार ने अदालतों को शत्रु संपत्तियों की वापसी का आदेश देने से रोकने के लिये अध्यादेश जारी किये और अंततः **वर्ष 2017 में शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यता) अधिनियम** पारित किया।
 - **लखनऊ नगर नगिम एवं अन्य बनाम कोहली बरदर्स कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामला, 2024:** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन में नहिति करना अस्थायी** है। भारत संघ स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मूल मालिक से कस्टोडियन को स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं होता है, और इस प्रकार सरकार को कोई स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं होता है।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971

- इसे आम तौर पर सार्वजनिक परिसर अधिनियम के रूप में जाना जाता है और इसे सार्वजनिक संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे के मुद्दे को हल करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- **सरकारी स्थान की परभाषा:** अधिनियम की धारा 2(e) के तहत, 'सरकारी स्थान' में शामिल हैं:
 - केंद्र सरकार से संबंधित या पट्टे पर दी गई संपत्तियाँ ।
 - संसद के किसी भी सदन के सचिवालय के नियंत्रण में परसिर ।
 - केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण श्रेयधारिता वाली कंपनियों, केंद्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित नगिमों, विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा नियंत्रित संपत्तियाँ ।
- **अधभोगियों और भू-स्वामियों के लिये नहितार्थ:**
 - अप्राधिकृत अधभोगी: अधिनियम **बेदखली के लिये एक कठोर तंत्र** प्रदान करता है, जो कानूनी सहारे के लिये सीमति अवसर प्रदान करता है । न्यायालय लगातार **इस सिद्धांत को कायम रखते हैं कि सरकारी स्थान** उनके **इच्छति उपयोग के लिये उपलब्ध** होना चाहिये और अप्राधिकृत कब्ज़ा इस उद्देश्य को कमज़ोर करता है ।
 - **भू-स्वामी (सरकारी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम):** यह अधिनियम कब्ज़े वाली संपत्तियों की पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है । हालाँकि, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **बेदखली की प्रक्रिया नष्पक्ष और उचित** हो, तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए । न्यायिक व्याख्याएँ इस बात पर बल देती हैं कि **कथिद्यपि एस्टेट अधिकारियों के पास पर्याप्त शक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग वविकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये** ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/enemy-property-act-1968>

